न्यायालय सहायक कलक्टर, राशमी जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – कपूर शंकर मान आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
015/2015 (RCMS 2015/00192)	17.11.2015	27.05.2019

अनवान

श्री बंशीलाल पिता गुणेश जाति ढोली आयु बालिग निवासी डिण्डोली तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0

प्रार्थी

बनाम

1. मदनलाल पिता जीतु जी जाति जाट आयु बालिग निवासी डिण्डोली तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
2. दलीचंद पिता जीतु जी जाति जाट आयु बालिग निवासी डिण्डोली तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
3. मोहनी बेवा जीतु जी जाति जाट आयु बालिग निवासी डिण्डोली तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
4. भूमिधारी तहसीलदार राशमी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

अप्रार्थी

उपस्थिति :– अधिवक्ता श्री विनोद आचार्य — प्रार्थी।
एक तरफा — अप्रार्थीगण।

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राज0काश्तकारी अधिनियम ::–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने विरूद्ध अप्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वर्तमान राजस्व अभिलेख अनुसार मौजा ग्राम डिण्डोली व पटवार हल्का डिण्डोली के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात आराजी संख्या 3176 रकबा 4–05 बीघा स्थित है। वर्तमान राजस्व अभिलेख अुनसार मौजा ग्राम डिण्डोली व पटवार हल्का डिण्डोली के बेरून हल्का आबादी में अप्रार्थीगण की खातेदार व कब्जे काश्त की आराजीयात आराजी संख्या 3172 रकबा 4–16 बीघा स्थित है। आराजी संख्या 3176 प्रार्थी के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में होकर उक्त आराजीयात पर आने जाने हेतु ग्राम डिण्डोली से सरकारी रेकार्डेड रास्ते होते हुए आराजी संख्या 3172 की दक्षिणी मेड पर पूर्व से पश्चित दिशा में होते हुए प्रार्थी अपनी आराजी संख्या 3176 में पहुॅचता है। उक्त रास्ता13 फिट चौडा होकर अपने पूर्वजों के समय से उपयोग उपभोग में लिया जा रहा

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी राशमी जिला-चित्तौड़गढ़

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

है। प्रार्थी अपनी आराजीयात पर आने जाने हेतु ट्रेक्टर ट्रॉली संज बैल आदि लाता ले जाता रहा है। प्रार्थी को उक्त आराजीयात पर आने जाने हेतु मौके पर और कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। तथा रास्ता आराजी संख्या 3172 की दक्षिणी मेड पर पूर्व से पश्चित दिशा में है। जिससे अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने उसे बंद कर दिया है। तथा रास्ते से नहीं निकलने बाबत् मना करने लगे है। जबकि प्रार्थी को अपनी आराजीयात पर पहुँचने के लिए रास्ता की अति आवश्यकता है। इस लिए अप्रार्थीगण 1 से 3 द्वारा नाजायज रुप से अवरुद किये गये रास्ते को आराजी संख्या 3172 से खुला रखवाया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। अप्रार्थीगण द्वारा जो रास्ते में अवरोध किया है उसे अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के खर्चे से हटवाया जावें। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की आराजीयात पर आने जाने हेतु आराजी संख्या 3172 की दक्षिणी मेड पर पूर्व से पश्चित दिशा में मेड पर जो रास्ता है उसे खुला कराया जावें। तथा प्रार्थी उचित प्रतिकर देने को तैयार है। इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। दिनांक 25.01.2017 को अप्रार्थीगण के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से इनके विरुद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई। दिनांक 09.11.2017 तहसीलदार राशमी को रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये। दिनांक 05.01.2018 को तहसीलदार राशमी से पत्रांक/रा/मूल/17/08 दिनांक 02.01.2018 से मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई जो कि शामिल पत्रावली है। दिनांक 16.05.2019 को अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र को एक तरफा सुना गया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र पर मनन किया।

तहसीलदार राशमी द्वारा अपने पत्रांक/रा/मूल/17/08 दिनांक 02.01.2018 से प्रेषित मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। मौका रिपोर्ट में तहसीलदार राशमी द्वारा अवगत कराया गया की प्रार्थी की आराजीयात पर पहुँचने के लिए अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है एवं पक्षकारान को राजीनामें बाबत् तलब किया गया किन्तु अप्रार्थी हाजिर नहीं रहें। प्रार्थी की आराजीयात पर पहुँचने के लिए आराजी संख्या 3172 रकबा 4-16 बीघा में से 40 गट्ठा लम्बाई एवं 2 गट्ठा चौडा रास्ते हेतु कुल रकबा 04 बिस्वा प्रस्तावित किया गया। जिसका प्रतिकर राशि इस क्षेत्र की डीएलसी दर की दुगुनी राशि से कुल 72600/- रूपये अक्षरे बहत्तर हजार छ सौ रूपये मात्र प्रतिकर के रुप में तय की गई है। जो कि रिकार्ड पर उपलब्ध है।

रिपोर्ट तहसीलदार राशमी अनुसार प्रार्थी की खातेदारी आराजियात पर पहुँचने हेतु अन्य रास्ता उपलब्ध नहीं है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'अ' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी राशमी जिला-चित्तौड़गढ़

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार इस अनुसार 04 बिस्वा भूमि हेतु प्रतिकर राशि 72600/- रूपये नियमानुसार देय बनते है जो कि आराजी संख्या 3172 रकबा 4-16 बीघा के खातेदार मदनलाल दलीचंद पिता जीतु मु0 मोहनी पिता जीतु जाट निवासी डिण्डोली को हक हिस्सा अनुसार देय है।

उपर्युक्त विश्लेषण से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'अ' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थीगण की आराजी संख्या 3172 रकबा 4-16 बीघा में से तहसीलदार राशमी की मौका रिपोर्ट में संलग्न प्रस्तावित लघुत्तम/निकटमत मार्ग मानते हुये रास्ता अंकित नजरी नक्शा के अनुसार 04 बिस्वा भूमि बिलानाम सरकार किस्म रास्ता दर्ज रिकार्ड की जावें एवं इस हेतु प्रार्थी से प्रतिकर राशि 72600/- रूपये वसूल की जाकर अप्रार्थीगण मदनलाल दलीचंद पिता जीतु मु0 मोहनी पिता जीतु जाट निवासी डिण्डोली को आराजीयात के अनुसार हक हिस्से अनुसार वितरित किया जावें। इस हेतु तहसीलदार राशमी को आदेशित किया जाता है कि आदेशानुसार राशि प्रार्थी से वसूल की जाकर अप्रार्थीगण को उनके हक हिस्से अनुसार वितरण किया जावें एवं तत्पश्चात् राजस्व रिकार्ड में आदेशानुसार अंकन किया जाकर नक्शे में आवश्यक तरमीम करवाई जावें। प्रस्तावित लघुत्तम/निकटमत मार्ग मानते हुये रास्ता अंकित नजरी नक्शा प्रमाणित अंकन किया जाकर निर्णय का भाग रहेगा।

-:: क्रियात्मक आदेश ::-

तहसीलदार राशमी को आदेशित किया जाता है कि रास्ते हेतु प्रतिकर राशि 72600/- रूपये प्रार्थी से वसूल किये जाकर खातेदार अप्रार्थीगण को उनके हक हिस्से अनुसार भुगतान किया जाकर मौजा डिण्डोली पटवार हल्का डिण्डोली की आराजी संख्या 3172 रकबा 4-16 बीघा मै से मौका रिपोर्ट में रास्ते हेतु प्रस्तावित नजरी नक्शा अनुसार 04 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 04 बिस्वा भूमि बिलानाम सरकार किस्म रास्ता दर्ज रिकार्ड की जावें। एवं नक्शे में आवश्यक तरमीम की जावें।

पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक को 27.05.2019 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27-5-19

(कपूर शंकर मान)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी राशमी जिला-चित्तौड़गढ़
सत्यमेव जयते